

कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता,
ग्रामोण अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

परिपत्र : - 2435/ग्रा० अ० से०/नियोजन/92

दिनांक : लखनऊ : नवम्बर, 8-11-92

परिपत्र

इस कार्यालय के पत्र संख्या-6027/ग्रा० अ० से०/कार्य, दिनांक 15-12-82 में निहित आदेशों में निम्न सीमा तक आंशिक संशोधन के आदेश जारी किये जाते हैं।

1—अधिकांसी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता द्वारा माप की चेकिंग कम से कम निम्न सीमा तक अवश्य की जाये।

अधिकारी का पद	ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य	विभाग द्वारा किये गये कार्य
अधिकांसी अभियन्ता	5 प्रतिशत	2 प्रतिशत
सहायक अभियन्ता	25 प्रतिशत	15 प्रतिशत

2—यह चेकिंग कार्य की लागत के आधार पर की जायेगी।

3—यह देखा गया है कि माप पुस्तिका पर 1 या 2 लाइन चेक करने के बाद पूर्ण पृष्ठ की चेकिंग मांग ली जाती है। यह प्रणाली मान्य नहीं है। जो भी पृष्ठ चेक किया जाये उस पृष्ठ पर अंकित समस्त माप चेक की जाये।

इस सम्बन्ध में पूर्व निर्गत समस्त आदेशों को तदनुसार संशोधित समझा जायें।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से पालन किया जायें।

ह० (वाई० के० प्राथुर)
निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता